

उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण
(Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority)

5th फ्लोर, राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्प्लैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड
दूरभाष संख्या:- 0135-2710348 ईमेल:- ukrrera2017@gmail.com

नियुक्ति / विज्ञापन

विज्ञापन सं०- 679/रेरा-136/2023/24


दिनांक. 23 अगस्त, 2023

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों/निदेशालयों/संस्थानों/निगमों/प्राधिकरणों/अन्य शासकीय निकायों आदि से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण में निम्न रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित प्रपत्र पर दिनांक 10.09.2023 तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

1- पदों का विवरण :-

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	योग्यता
1	2	3	4
01	अधिकाशासी अभियन्ता	01	सेवानिवृत्त अधिकाशासी अभियन्ता/समकक्ष (लेवल-12 अथवा लेवल-13) रु० 78,800-2,09,200 लेवल 12 रु० 1,23,100-2,15,900 लेवल 13
02	सहायक अभियन्ता	01	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता/समकक्ष (लेवल-10 अथवा लेवल-11) रु० 56,100-1,77,500 लेवल 10 रु० 67,700-2,08,700 लेवल 11
03	अवर अभियन्ता	01	सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता/समकक्ष (लेवल-7 अथवा लेवल-8) रु० 44,900-1,42,400 लेवल 07 रु० 47,600-1,51,100 लेवल 08
04	लेखाकार	01	सेवानिवृत्त लेखाकार/समकक्ष (लेवल-6 अथवा लेवल-7) रु० 35,400-1,12,400 लेवल 06 रु० 44,900-1,42,400 लेवल 07

2- आयु :- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.08.2023 को 63 वर्ष से अधिक न हो अर्थात उनकी जन्मतिथि दिनांक 31.07.1960 से पूर्व की न हो।





3-नियुक्ति प्रक्रिया :-

- (1) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में सचिव, उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण को उक्त पते पर दिनांक 10.09.2023 को सांयकाल 6:00 बजे तक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/कोरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हो जायें। लिफाफे के ऊपर जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है, उस पद का नाम अंकित किया जाय। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (2) सम्यक रूप से पूर्ण आवेदन पत्रों को ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
- (3) आवेदन पत्र में यह स्वप्रमाणित कथन दिया जाना अनिवार्य होगा कि आवेदक के विरुद्ध पूर्व में न तो कोई दण्डादेश पारित हुआ है और न कोई अनुशासनात्मक अथवा सतर्कता कार्यवाही गतिमान/लम्बित है।
- (4) किसी पद के विरुद्ध एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
- (5) चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

4- पुनर्नियोजन की अवधि एवं सेवा शर्तें

- (1) पुनर्नियोजन की अवधि नियुक्ति की तिथि से 01 वर्ष तक होगी, जो आवश्यकतानुसार विस्तारित की जा सकती है।
- (2) पुनर्नियोजित कर्मियों को वेतन उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि को अंतिम आहरित वेतन से सकल पेंशन की धनराशि (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर (यानी Pay minus Pension) देय होगा।
- (3) पुनर्नियोजित कर्मियों को सरकारी आवास एवं सरकारी वाहन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
- (4) पुनर्नियोजित कर्मियों को कोई भी अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता आदि देय नहीं होंगे।
- (5) पद पर कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (6) पुनर्नियोजित कर्मियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इस अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा। सार्वजनिक अवकाशों एवं आकस्मिक अवकाशों को छोड़कर अवकाश अवधि में वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (7) पुनर्नियोजन की अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी उचित कारण पाते हुए यथास्थिति बिना नोटिस के सेवा समाप्त की जा सकती है।

(सुन्दर लाल सेमवाल)
सचिव।